



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैर-इरादतन हत्या के प्रयास करने के आरोपी मोहित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त मोहित पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम सुन्हेडा थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 552/18 धारा 308/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मोहित को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री राजीव एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरोपी मुकेश कोट्टे पैरोकार थाना खेकडा

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी समीर को हुई 07 माह 17 दिन के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त समीर पुत्र युनुस निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 878/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त समीर को दोषी पाते हुए 07 माह 17 दिन के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में दहेज हत्या करने के आरोपी संजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त संजीव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सूजरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा दहेज के लिए हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 810/2016 धारा 498ए/304बी/34 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी कोर्ट-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजीव को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री गगन गौड एडीजीसी जनपद बागपत



आरशी हरदीप कुमार कोर्ट पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.12.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत विभिन्न वादों से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अल्लामेहर पुत्र सुलेमान निवासी बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 540 राजेन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत
- 3-का0 333 नितेश थाना बागपत जनपद बागपत